नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 362/Infra-cell Allahabad; Dated March 18, 2026 के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक–15.04.2026 के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय देवरिया मे निर्माणाधीन 24 कक्षीय न्यायालय भवन के सामने पूर्व निर्मित पार्क मे स्थित पेड़ो की नीलामी दिनांक 14.05.2026 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय अपरान्ह 01.00 बजे नीलामी समिति की देख रेख मे नीलामी सम्पन्न होगी।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया के पंत्राक 655/37–1 दिनांक, देवरिया सितम्बर 11 2025 के अनुसार निर्माणाधीन 24 कक्षीय न्यायालय भवन के सामने पूर्व निर्मित पार्क मे स्थित पेड़ो 01 सिरस, 06 वरगद, 01 वाटर पाम, 02 गुलर एवं 01 कदम अर्थात कुल 11 हरा खड़े पेड़ो का कुल मुल्यांकन मु0 7401.00/–(मु0 सात हजार चार सौ एक रुपये मात्र) कर प्रस्तुत किया गया है, को आधार मानकर मु0 7401.00/–(मु0 सात हजार चार सौ एक रुपये मात्र) से नीलामी प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है ।

नीलामी की शर्तें

1– प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व जनपद न्यायालय, देवरिया में निर्माणाधीन 24 कक्षीय न्यायालय भवन के सामने पूर्व निर्मित पार्क में स्थित उक्त वर्णित वृक्षो की नीलामी हेतु मु0 740.00/–(मु0 सात सौ चालीस रुपये मात्र) बतौर जमानत के रुप मे कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे जमा करना होगा। जमानत की धनराशि जमा किये जाने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार नीलामी मे भाग ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

2– जनपद न्यायालय देवरिया मे निर्माणाधीन 24 कक्षीय न्यायालय भवन के सामने पूर्व निर्मित पार्क मे स्थित उक्त वर्णित वृक्षो की नीलामी मे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण–पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा। शेष धनराशि जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

5– प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6– जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 14.05.2026 को कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे प्रातः 08.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8– नीलामी समिति जजी, देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी।

(हरीराम), 05/05/26
सदस्य,
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

(काशीनाथ), 05/05/26
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :–

1– सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2– जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3– कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4– जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
5– अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।
6– जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।

(हरीराम), 05/05/26
सदस्य,
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

(काशीनाथ), 05/05/26
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।